

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अन्नपथहर रोड, छेरा, अलीगढ़, पिन-202001 * ई-मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 295 / 14-1, दिनांक अलीगढ़: अगस्त 02 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 मैनपुरी-अलीगढ़ द्विपथ ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य में जनपद अलीगढ़ की 1.8354 हे0 आरक्षित एवं 0.0276 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 1.863 हे0 एवं उन पर अवस्थित 2 वृक्षों के पातन, जनपद हाथरस की 0.8544 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 104 वृक्षों के पातन तथा जनपद एटा की 0.46 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 201 वृक्षों पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव।


महोदय,

साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 मैनपुरी-अलीगढ़ द्विपथ ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिस हेतु जनपद अलीगढ़ की 1.8354 हे0 आरक्षित एवं 0.0276 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 1.863 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग एवं उन पर अवस्थित 2 वृक्षों के पातन का प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक 182/अलीगढ़/13285/2015, दिनांक 22.07.2016 द्वारा, जनपद हाथरस की 0.8544 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 104 वृक्षों के पातन का प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस की पत्र सं0 204/14-1, दिनांक 27.07.2016 द्वारा एवं जनपद एटा की 0.46 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 201 वृक्षों पातन के गैर वानिकी प्रयोग का प्रस्ताव उनके कार्यालय पत्रांक 102/14-1, दिनांक 22.07.2016 द्वारा अपनी संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

अतः उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर मय संस्तुति व सी0डी0 सहित 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(ललित कुमार शर्मा)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक / 14-1, समदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उनकी पत्र सं0 182/अलीगढ़/13285/2015, दिनांक 22.07.2016 के क्रम में।
- 2-प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उनकी पत्र सं0 204/14-1, दिनांक 27.07.2016 के क्रम में।
- 3-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को उनकी पत्र सं0 102/14-1, दिनांक 22.07.2016 के क्रम में।
- 4-महाप्रबन्धक, साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन लि0, लखनऊ।

(ललित कुमार शर्मा)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	<p>स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई।</p> <p>क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।</p>	<p>जनपद अलीगढ़ में साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 मैनपुरी-अलीगढ़ द्विपथ ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य में ग्राम गोपी स्थित चांदपुर वन ब्लाक एवं गोपी विजयगढ़ मार्ग एवं ग्राम लधौआ स्थित लधौआ वन ब्लाक में प्रभावित सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की 1.8354 हे0 आरक्षित एवं 0.0276 हे संरक्षित वन भूमि कुल 1.863 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग एवं उन पर अवस्थित 2 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव।</p> <p style="text-align: right;">नहीं</p>
15.	<p>क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।</p>	<p style="text-align: right;">हाँ</p>
16.	<p>प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।</p>	<p>प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।</p>


(ललित कुमार वर्मा)
 मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
 अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

तिथि:- 02.08.2016

स्थान:-अलीगढ़।

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	400 के0वी0 मैनपुरी-अलीगढ़ विद्युत ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य में एटा जिले के बाधक 201 वृक्षों के पातन एवं 0.460 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव। नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 02.08.2016

स्थान:-अलीगढ़।

(ललित कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जनपद हाथरस में साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन लि0 द्वारा 400 के0वी0 मैनपुरी-अलीगढ़ द्विपथ ऑवर हेड ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित 104 वृक्षों के पातन एवं 0.8544 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव। नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 02.08.2016

स्थान:-अलीगढ़।

(ललित कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़। अलीगढ़